



आरत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]

No. 249]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2012/ज्येष्ठ 10, 1934

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2012/JYAISTHA 10, 1934

राज्यालय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

शुद्धिदाता

नई दिल्ली, 29 मई, 2012

संदर्भ : राज्यालय अधिकारका राज्या 130, विभाग 20 घार्डे, 2012

सा.क्रि.नि. 412(अ), सा.क्रि.नि.256(अ), दिनांक 27-03-2012 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित राज्यालय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (दूरसंचार विभाग) से संबंधित भारत सरकार की अधिसूचना को पैरा 2(क) में

“फाइबर विभाकर और” (क)

“(ग) फाइबर विभाकर और.....” के रूप में पढ़ा जाए।

[फा. सं. 3-5/2012-पीएचपी]

शिव शंकर सिंह, उप महानिदेशक (जन शिकायत)
सह-पदेन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th May, 2012

Reference : Gazette Notification No. 740 dated 17th March 28, 2012

G.S.R. 412(E)... In the notification of the Government of India for the Ministry of Communications And Information Technology (Department of Telecommunications) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 256(E), dated 27th March, 2012, in the Para 2(a),

“For creation of Nation Optical Fibre Network....” shall be read as

“(c) For creation of National Optical Fibre Network....”

[F.No. 3-5/2012-PHP]

S. S. SINGH, Dy. Director General (PG)
cum-ex-officio Jt. Secy.

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 4. | सा.का.नि. 679, दिनांक 30-6-1984 | 40. | सा.का.नि. 933 (अ), दिनांक 3-12-1990 |
| 5. | सा.का.नि. 428, दिनांक 27-4-1985 | 41. | सा.का.नि. 985 (अ), दिनांक 20-12-1990 |
| 6. | सा.का.नि. 729, दिनांक 3-8-1985 | 42. | सा.का.नि. 74 (अ), दिनांक 18-1-1991 |
| 7. | सा.का.नि. 982, दिनांक 19-10-1986 | 43. | सा.का.नि. 237 (अ), दिनांक 25-4-1991 |
| 8. | सा.का.नि. 553 (अ), दिनांक 27-3-1986 | 44. | सा.का.नि. 251 (अ), दिनांक 2-5-1991 |
| 9. | सा.का.नि. 314, दिनांक 26-4-1986 | 45. | सा.का.नि. 543 (अ), दिनांक 21-5-1992 |
| 10. | सा.का.नि. 566, दिनांक 26-7-1986 | 46. | सा.का.नि. 560 (अ), दिनांक 26-5-1992 |
| 11. | सा.का.नि. 953 (अ), दिनांक 23-7-1986 | 47. | सा.का.नि. 587 (अ), दिनांक 10-6-1992 |
| 12. | सा.का.नि. 1121 (अ), दिनांक 1-10-1986 | 48. | सा.का.नि. 730 (अ), दिनांक 19-8-1992 |
| 13. | सा.का.नि. 1167 (अ), दिनांक 28-10-1986 | 49. | सा.का.नि. 830 (अ), दिनांक 28-10-1992 |
| 14. | सा.का.नि. 1237 (अ), दिनांक 28-11-1986 | 50. | सा.का.नि. 62 (अ), दिनांक 11-2-1993 |
| 15. | सा.का.नि. 49, दिनांक 17-1-1987 | 51. | सा.का.नि. 80, दिनांक 6-02-1993 |
| 16. | सा.का.नि. 112 (अ), दिनांक 25-2-1987 | 52. | सा.का.नि. 384 (अ), दिनांक 27-4-1993 |
| 17. | सा.का.नि. 377 (अ), दिनांक 9-4-1987 | 53. | सा.का.नि. 387 (अ), दिनांक 28-4-1993 |
| 18. | सा.का.नि. 674, दिनांक 27-7-1987 | 54. | सा.का.नि. 220 (अ), दिनांक 26-3-2004 |
| 19. | सा.का.नि. 719, दिनांक 18-8-1987 | 55. | सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 1-3-2007 |
| 20. | सा.का.नि. 837 (अ), दिनांक 5-10-1987 | 56. | सा.का.नि. 49 (अ), दिनांक 27-1-2010 |
| 21. | सा.का.नि. 989 (अ), दिनांक 17-12-1987 | | |
| 22. | सा.का.नि. 337 (अ), दिनांक 1-3-1988 | | |
| 23. | सा.का.नि. 361 (अ), दिनांक 21-3-1988 | | |
| 24. | सा.का.नि. 626 (अ), दिनांक 17-5-1988 | | |
| 25. | सा.का.नि. 660 (अ), दिनांक 31-5-1988 | | |
| 26. | सा.का.नि. 693 (अ), दिनांक 10-6-1988 | | |
| 27. | सा.का.नि. 734 (अ), दिनांक 24-6-1988 | | |
| 28. | सा.का.नि. 606, दिनांक 14-7-1988 | | |
| 29. | सा.का.नि. 812 (अ), दिनांक 26-7-1988 | | |
| 30. | सा.का.नि. 888 (अ), दिनांक 1-9-1988 | | |
| 31. | सा.का.नि. 907 (अ), दिनांक 7-9-1988 | | |
| 32. | सा.का.नि. 916 (अ), दिनांक 9-9-1988 | | |
| 33. | सा.का.नि. 1054, दिनांक 2-11-1988 | | |
| 34. | सा.का.नि. 179, दिनांक 18-3-1989 | | |
| 35. | सा.का.नि. 358 (अ), दिनांक 15-3-1989 | | |
| 36. | सा.का.नि. 622 (अ), दिनांक 15-6-1989 | | |
| 37. | सा.का.नि. 865 (अ), दिनांक 29-9-1989 | | |
| 38. | सा.का.नि. 413 (अ), दिनांक 29-3-1990 | | |
| 39. | सा.का.नि. 574 (अ), दिनांक 15-6-1990 | | |

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2012

C.S.R. 256(E). - In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely :

1. (I) These rules may be called the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951,

(a) In Rule 525, in sub-rule (2), in Stream V, after item (b), the following item shall be inserted namely :—

"For creation of Nation Optical Fibre Network for extending the Broadband connectivity up to all Gram Panchayats or villages by bridging the gaps in the aggregation layer through laying of Fibre and installation of end-equipment or terminals, the Capital Expenses and Operating Expenses net of revenue incurred by the Special Purpose Vehicle (SPV) as nominated or identified or approved or created by Central Government shall be funded by Universal Service Obligation Fund (USOF) for a period of five years from the date the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2012 come into force."

(b) For Rule 526, the following rule shall be substituted, namely :—

"526. Criteria for selection of Universal Service Provider.—The selection of the Universal Service Provider shall be made by a bidding process from amongst the eligible operators, except for item (a) and item (aa) of clause (ii), item (c) of clause (v) and clause (vi) of sub-rule (2) of Rule 525 and the agreement signed as a result of the bidding process shall not be treated as grant of fresh license under the Indian Telegraph Act, 1885.

Explanation—For the purposes of this rule, “eligible operators” means the entities having valid license or registration or authorization from Central Government/ Department of Telecommunication for providing telecom services or infrastructure or any other entities as may be specified in this regard by the Central Government from time to time”.

[F. No. 3-5/2012-PHP]

S. S. SINGH, Dy. Director General (PG)
Cum-Ex-Officio Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Post and Telegraph Manual Volume I, Legislative Enactments, Part II, Edition and subsequently amended *vide* notification numbers—

1. G.S.R. 190, dated 18-2-1984
2. G.S.R. 386, dated 22-5-1984
3. G.S.R. 387(E), dated 22-5-1984
4. G.S.R. 679, dated 30-6-1984
5. G.S.R. 428, dated 27-4-1985
6. G.S.R. 729, dated 3-8-1985
7. G.S.R. 982, dated 19-10-1986
8. G.S.R. 553(E), dated 27-03-1986
9. G.S.R. 314, dated 26-4-1986
10. G.S.R. 566, dated 26-7-1986
11. G.S.R. 953(E), dated 23-7-1986
12. G.S.R. 1121(E), dated 1-10-1986
13. G.S.R. 1167(E), dated 28-10-1986
14. G.S.R. 1237(E), dated 28-11-1986
15. G.S.R. 49, dated 17-1-1987
16. G.S.R. 112(E), dated 25-2-1987
17. G.S.R. 377(E), dated 9-4-1987
18. G.S.R. 674(E) dated 27-7-1987
19. G.S.R. 719(E), dated 18-8-1987
20. G.S.R. 837(E), dated 5-10-1987
21. G.S.R. 989(E), dated 17-12-1987
22. G.S.R. 337(E), dated 11-3-1988
23. G.S.R. 361 (E), dated 21-3-1988
24. G.S.R. 626 (E), dated 17-5-1988
25. G.S.R. 660 (E), dated 31-5-1988
26. G.S.R. 693(E), dated 10-6-1988
27. G.S.R. 734(E), dated 24-6-1988
28. G.S.R. 606, dated 14-7-1988
29. G.S.R. 812(E), dated 26-7-1988
30. G.S.R. 888(E), dated 1-9-1988
31. G.S.R. 907(E), dated 7-9-1988
32. G.S.R. 916(E), dated 9-9-1988
33. G.S.R. 1054, dated 2-11-1988
34. G.S.R. 179, dated 18-3-1989
35. G.S.R. 358(E), dated 15-3-1989
36. G.S.R. 622(E), dated 15-6-1989
37. G.S.R. 865, dated 29-9-1989
38. G.S.R. 413 (E), dated 29-3-1990
39. G.S.R. 574(E), dated 15-6-1990
40. G.S.R. 933(E), dated 3-10-1990
41. G.S.R. 985(E), dated 20-1-1-1990
42. G.S.R. 74(E), dated 18-1-1991
43. G.S.R. 237(E), dated 25-4-1991
44. G.S.R. 251 (E), dated 2-5-1991
45. G.S.R. 543(E), dated 21-5-1991
46. G.S.R. 560(E), dated 26-5-1992
47. G.S.R. 587(E), dated 10-6-1992
48. G.S.R. 730(E), dated 19-8-1992
49. G.S.R. 830(E), dated 28-10-1992
50. G.S.R. 62(E), dated 11-2-1993
51. G.S.R. 80, dated 6-2-1993
52. G.S.R. 384(E), dated 27-4-1993
53. G.S.R. 387(E), dated 28-4-1993
54. G.S.R. 220(E), dated 26-3-2004
55. G.S.R. 193(E), dated 01-03-2007
56. G.S.R. 49(E), dated 27-01-2010



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

भई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2012/चैत्र 8, 1934

No. 140]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2012/CHAITRA 8, 1934

संचार और सूचना ग्रौमोबिली विभाग

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2012

सरकारी 256(ग) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की थाए 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार भारतीय तार नियमावली, 1951 को और राज्यों द्वारा करने के लिए एतद्वारा नियमालिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों को भारतीय तार (राज्योंमें नियमावली, 2012 कहा जाए)

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की परीक्षा से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय तार नियमावली, 1951 में—

(क) नियम 525 के, उप-नियम (2) में, स्ट्रीम-V में मद् (ख) के बाद नियमालिखित मद को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

“फाइबर बिछाकर और अंतिम छोर के उपस्कर तथा टर्मिनलों की संस्थापना करके एग्रिगेशन लेयर में अंतरालों को पाटकर सभी ग्राम पंचायतों अथवा गांवों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के सृजन हेतु, केन्द्र सरकार द्वारा यथा नामोदिष्ट अथवा अधिनियम अनुमोदित अथवा सुनित विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) द्वारा राजस्व के निवल रूप में खर्च किए गए पूर्जीयत व्यय और प्रचालन संबंधी व्यय का वित्तपोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा भारतीय तार (संस्थान) नियमावली, 2012 के प्रभावी होने की तारीख से पांच बर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।”

किए गए पूर्जीयत व्यय और प्रचालन संबंधी व्यय का वित्तपोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा भारतीय तार (संस्थान) नियमावली, 2012 के प्रभावी होने की तारीख से पांच बर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।”

(ख) नियम 526 के लिए नियमालिखित नियम प्रतिवर्ष किया जाएगा, अर्थात् :-

“526. राजीवीयमिक रोला प्रदाता को भवत्यक्त आवश्यक : राजीवीयमिक रोला प्रदाता को यद्यम नियम 526 के लिए (ii) वी शब्द (क) और शब्द (मेह), स्ट्रीम-V की ओर (य) और उप-नियम (2) के लिए (vi) वी शब्द, कर, पात्र प्रचालकों में से बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा और बोली प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हस्ताक्षरित कारार को भारतीय तार अधिनियम, 1885 के तहत यस लाइसेंस प्रदान नहीं जाएगा।”

(पार्टीकरण) इस नियम के प्रभावजन हेतु, पात्र प्रक्रियाने का अर्थ ऐसी कंपनियों से है जिनके पास दूरसंचार सेवाएं अथवा अवसंरचना प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार अथवा दूरसंचार विभाग की ओर से वैद्य लाइसेंस अथवा पंजीकरण अथवा प्राधिकार प्राप्त है अथवा किन्हीं अन्य ऐसी कंपनियों से है, जो केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।”

[फा. सं. 3-5/2012-पीएचपी]

शिव शंकर सिंह, उप महानिदेशक (जन शिक्षायत)

सह-पदेन संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम डाक एवं तार मैत्रुअल खंड 1, विधायी अधिनियमन, भाग II संस्करण में प्रकाशित किए गए थे और इनमें अगले संशोधन नियमालिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा किए गए हैं :—

1. सा.का.नि. 190, दिनांक 18-2-1984
2. सा.का.नि. 386, दिनांक 22-5-1984
3. सा.का.नि. 387 (अ), दिनांक 22-5-1984